छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00223

अटलमन इंडिया प्रा. लि. विरूद्ध श्रीमती लता सुराना, पति–श्री सुरेन्द्र सुराना, रायपुर

प्रोजेक्ट–फ्रेण्ड्स क्लब, ग्राम–कान्दुल, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/12/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का कथन है कि उसके एवं अनावेदिका के मध्य ग्राम–कान्दुल, जिला–रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ''फ्रेण्ड्स क्लब'' में 67,344 वर्गफीट भूखण्ड अंतरण के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किया गया था, जिसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा उसे रूपये 31,95,000/– को दो पोस्ट डेटेड चेक दिया गया था। आवेदक का कथन है कि अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो चेक्स अनादरित हो चुके हैं, जिससे क्षुब्ध होकर उसके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदिका को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदिका ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त चेक्स के अनादरण के संबंध में पूर्व से ही व्यवहारवाद माननीय व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक ने अनावेदिका के उक्त कथन की पुष्टि की है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनादरित चेक्स के संबंध में राहत हेतु प्राधिकरण के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि उक्त अनादरित चेक्स के संबंध में ही उभय पक्षों के मध्य माननीय व्यवहार न्यायालय में पूर्व से ही सिविल वाद विचाराधीन है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत वाद के संबंध में प्राधिकरण के द्वारा पृथक कार्यवाही प्रारंभ किया जाना विधिसम्मत् नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत परिवाद समाप्त करते हुए प्रकरण निराकृत किया जाता है।	14/12/18.

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00223

अटलमन इंडिया प्रा. लि. विरूद्ध श्रीमती लता सुराना, पति–श्री सुरेन्द्र सुराना, रायपुर

प्रोजेक्ट–फ्रेण्ड्स क्लब, ग्राम–कान्दुल, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	– प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य — सदस्य, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य — सदस्य, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष — अध्यक्ष, भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर	